झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची

संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा, विज्ञापन संख्या–23/2016 हेतु आवेदन–पत्र भरने तथा वांछित प्रमाण–पत्र/अभिलेख समर्पित करने संबंधी आवश्यक शर्त्त व अनुदेश :–

(1) आवेदन का विहित–प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** से ए–4 आकार के मोटे कागज पर दोनों पृष्ठों में डाउनलोड कर प्राप्त किया जाय। इससे भिन्न टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(2) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। आवेदन भरने हेतु अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप यथा–1,2,3,4..........का ही प्रयोग करें।

(3) जो स्तंभ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उस पर लागू न हो, उसे (X) कर दें।

(4) आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी **प्रारंभिक परीक्षा का अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं कोटि** का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

(5) **मुख्य परीक्षा के आवेदन में आवेदक द्वारा कोटि एवं द्वितीय पत्र के भाषा एवं साहित्य के विषय का चुनाव प्रारंभिक परीक्षा हेतु समर्पित ऑनलाईन आवेदन के अनुरूप होना अनिवार्य होगा। इससे इतर कोटि एवं भाषा एवं साहित्य विषय के चुनाव किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

(6) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरते समय प्रमाण–पत्र– **1.** जन्म तिथि (10th/मैट्रिक प्रमाण–पत्र) **2.** सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र **3.** जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो) **4.** विकलांगता प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो) **5.** खेलकूद संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो) **6.**भूतपूर्व सैनिक प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा इस संबंध में बाद में किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वीकार नहीं की जायेगी और आवेदक इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(7) आवेदन पत्र में किसी प्रकार का पुनर्लेखन (Overwriting), काट–कूट (cutting), विलेखण (erasing) होने पर आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

(8) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(9) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) कोटि के आवेदकों द्वारा आरक्षण के दावे की स्थिति में झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र में **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् हैः–

(i) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति :–

झारखण्ड राज्य के **अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि** के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–5682 दिनांक–22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–I में **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि** तक झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की **स्पष्ट एवं पठनीय** स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) :–

झारखण्ड राज्य के **अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)** कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–10007 दिनांक–29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–II **(ननक्रीमीलेयर प्रमाण सहित)** में **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि** तक झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत **वैध (Valid) एवं अद्यतन** जाति प्रमाण पत्र की **स्पष्ट एवं पठनीय** स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा।

कृ0पृ0उ0

(10) झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Important Jharkhand Govt. Circular and Notices में उपलब्ध है।

(11) संलग्न जाति प्रमाण पत्र से संबंधित विवरणी यथा प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि, अनुमंडल, जिला, राज्य एवं निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा।

(12) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त जाति प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(13) झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** से अलग प्राधिकार यथा **अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी** आदि स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(14) केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(15) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु दिनांक–22.10.2008 से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(16) आरक्षण का लाभ आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा।

(17) शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षण हेतु अनुमान्य नहीं होगा।

(18) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र से अलग निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि में रखी जाएगी यदि उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन हो। उदाहरण स्वरूप अनारक्षित कोटि के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है एवं यदि किसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I (अनुसूची–I) कोटि के अभ्यर्थी की उम्र सीमा 35 वर्ष से अधिक होती है तो उन्हें अनारक्षित कोटि में नहीं रखा जाएगा तथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(19) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में किए गये प्रविष्टि के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(20) आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में किए गये प्रविष्टि के अनुरूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(21) **विकलांगता संबंधी आरक्षण दावे की स्थिति में** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या– 2249 दिनांक– 03.04.2018 के आलोक में (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त) सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत विकलांगता प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र अनुदेश के साथ संलग्न है।

(22) **खेलकूद कोटा** के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2007 द्वारा श्रेणी–II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

प्रतियोगिता का स्तर	**उपलिब्ध**
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

(23) खेलकूद कोटे के आरक्षण के दावे की स्थिति में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड प्रभावी होंगे।

(24) आवेदक सरकारी सेवक होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर अग्रसारित करवा कर ही आवेदन समर्पित करेंगे। संविदा कर्मी/दैनिक मजदूरी/अस्थायी पद पर कार्यरत कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे।

(25) आवेदन के वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ चिपकाना एवं हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करेंगे। फोटोग्राफ निर्धारित स्थान पर अच्छी तरह चिपकायें। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

(26) आरक्षण के दावे की स्थिति में निर्दिष्ट स्थान पर आरक्षण कोटि एवं संबंधित स्थान पर जाति प्रमाण–पत्र संख्या, निर्गत तिथि, निर्गत प्राधिकार (Issuing Authority), अनुमण्डल, जिला एवं राज्य का स्पष्ट उल्लेंख करें।

(27) आवेदक अपने नाम, पिता का नाम तथा माता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो आवेदक के 10th/मैट्रिक के प्रमाण–पत्र में अंकित है।

(28) जन्म तिथि– आवेदक के 10th/मैट्रिक प्रमाण–पत्र / अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।

(29) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, उम्र संबंधी प्रवेशिका (10th/मैट्रिक प्रमाण–पत्र), मेडिकल बोर्ड द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, खेलकूद संबंधी प्रमाण–पत्र (जहाँ लागू हो) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अनिवार्य रूप से प्रविष्टि करेंगे तदनुरूप संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे । अन्तर्वीक्षा के समय अभिलेख सत्यापन के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(30) झारखण्ड सरकार के सरकारी सेवक के रूप में अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी दावे के समर्थन में विभागीय प्रधान अथवा कार्यालय प्रधान द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित होना अनिवार्य है अन्यथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(31) आवेदन पत्र में दी गयी सूचना एवं समर्पित अभिलेखों में भिन्नता की स्थिति में अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

(32) किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाने का प्रमाण पाये जाने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

(33) आवेदन भेजने वाले लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या–**23/2016 तथा संयुक्त असैनिक सेवा (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा–2016 मोटे अक्षरों में अवश्य अंकित करें।**

(34) विज्ञापन संख्या–23/2016 में निहित अन्य शर्त्तें व प्रावधान यथावत् रहेंगे।

(35) सभी वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–**14.09.2018** निर्धारित है। इसके पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र या प्रमाण–पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय मे स्वीकार्य नहीं होगा।

(36) **आवेदन करने की तिथि**–

(क) आवेदन पत्र में दी गयी सूचना एवं तदनुरूप वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक–13.08.2018 से दिनांक–14.09.2018 संध्या 5:00** बजे तक आयोग कार्यालय में केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/हाथों–हाथ ***"परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची–834001"*** को अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दें। लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम– ***"संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा, विज्ञापन संख्या–23/2016"*** अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे अन्यथा लिफाफा खोला नहीं जा सकेगा तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(ख) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/–

सचिव

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

आवेदन प्रपत्र

संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा–2016,
(विज्ञापन संख्या–23 / 2016)

आवेदन पत्र सं0– ____________

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

पासपोर्ट आकार का स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटो चिपकाएँ। (फोटो स्टेपल ना करें)

* संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2016 का अनुक्रमांकः– | | | | | | | | |
* संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2016 का रजिस्ट्रेशन सं0ः– | | | | | | | | |
* संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2016 में उल्लेखित कोटिः–..
(अनारक्षित / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (BC-I) / पिछड़ा वर्ग (BC-II) / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति)

नोटः– (प्रारंभिक परीक्षा में उल्लेखित कोटि से भिन्न कोटि मान्य नहीं होगा, अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी)

(आवेदक का हस्ताक्षर)

1. उम्मीदवार का पूरा नामः–
   (क) देवनागरी लिपि मेंः–..
   (ख) रोमन लिपि में :– | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   (Block Letter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. पिता / पति का नामः–
   (क) देवनागरी लिपि मेंः–..
   (ख) रोमन लिपि में :– | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
   (Block Letter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. माता का नामः–..
4. वैवाहिक स्थितिः–..(विवाहित / अविवाहित)
5. पति (विवाहित महिला के लिए) का पूरा नामः–..
6. उम्मीदवार की जन्म तिथि (10^{th}/ मैट्रिक प्रमाण–पत्र के अनुसार) दिन | | | माह | | | वर्ष | | | | |
7. (a) दिनांकः– 01.08.2016 को आयुः– दिन | | | माह | | | वर्ष | | |
   (b) दिनांकः– 01.08.2010 को आयुः– दिन | | | माह | | | वर्ष | | |
8. पत्राचार का पता (मुहल्ला, टोला, थाना, डाकघर, जिला, राज्य एवं पिन कोड अनिवार्य रूप से अंकित करें)ः–
   ....
   ....
   डाकघरः– ....थानाः–..
   जिलाः– ....राज्यः–..पिन कोडः– ....
9. स्थायी पताः– (मुहल्ला, टोला, थाना, डाकघर, जिला, राज्य एवं पिन कोड अनिवार्य रूप से अंकित करें)ः–
   ....
   ....
   डाकघरः– ....थानाः–..
   जिलाः– ....राज्यः–..पिन कोडः– ....

कृ0पृ0उ0

10.लिंग (संबंधित खाने में ✓ करें):– महिला [ ] पुरूष [ ]

11.राष्ट्रीयता:– [ ]

12.क्या आप झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हैं:–..(हाँ/नहीं) अंकित करें।

13.आधार नम्बर:– [| | | | | | | | | | |]

14.झारखण्ड राज्य के अंतर्गत आरक्षण दावे के समर्थन में जाति प्रमाण–पत्र का विवरण:–

(क) झारखण्ड राज्य के SC/ST कोटि के अभ्यर्थी हेतु सक्षम प्राधिकार उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से विहित प्रपत्र–I में जाति प्रमाण–पत्र का विवरण:–

जाति प्रमाण–पत्र संख्या:–...निर्गत तिथि:–...

निर्गत प्राधिकार:– ....अनुमंडल:–...

जिला:–...राज्य:–...

(अन्य किसी प्रपत्र में जाति–प्रमाण–पत्र स्वीकार्य नहीं होगा)

(ख) झारखण्ड राज्य के BC-I/BC-II कोटि के अभ्यर्थी हेतु सक्षम प्राधिकार उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से विहित प्रपत्र–II में **ननक्रीमीलेयर उल्लेख सहित निर्गत वैद्य एवं अद्यतन** जाति प्रमाण–पत्र का विवरण:–

जाति प्रमाण–पत्र संख्या:–...निर्गत तिथि:–...

निर्गत प्राधिकार:– ....अनुमंडल:–...

जिला:–...राज्य:–...

(अन्य किसी प्रपत्र में जाति–प्रमाण–पत्र स्वीकार्य नहीं होगा)

15.क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं:–..हाँ/नहीं।

16.क्या विकलांगता संबंधित आरक्षण का दावा किया गया है:–..हाँ/नहीं।

(i) यदि हाँ तो विकलांगता का स्वरूप–...
(दृष्टिबाधित/बहरा व गूंगा/लोकोमोटिव)

(ii) विकलांगता का प्रतिशत:–...

(iii) सक्षम प्राधिकार (मेडिकल बोर्ड), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–2249 दिनांक–03.04.2018 के अनुसार निर्धारित विहित प्रपत्र (अनुदेश के साथ संलग्न) में निर्गत:–

विकलांगता प्रमाण–पत्र संख्या:–...(तिथि):–...

17.क्या आप खेल–कूद संबंधी आरक्षण का दावा करते हैं? हाँ/नहीं। यदि हाँ तो झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2017 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाण–पत्र (छायाप्रति) संलग्न करें।

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि	प्रमाण–पत्र संख्या

18. (i) ऊँचाई (जूते/चप्पल के बिना):– ....(से.मी. में)

(ii) छाती की माप (साधारण):–...(से.मी. में)
(पुरूष उम्मीदवार हेतु)

19.उम्मीदवार का एक विशिष्ट पहचान चिह्न:–...

20. मुख्य परीक्षा के द्वितीय पत्र भाषा एवं साहित्य हेतु चयनित विषय का नामः—..
नोटः— (प्रारंभिक परीक्षा में उल्लेखित विषय से भिन्न चयनित विषय मान्य नहीं होगा, अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी)

21. शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवरणः—

क्र0 सं0	उत्तीर्ण परीक्षा	संकाय / विषय	सत्र	उत्तीर्णता का वर्ष	संस्थान (स्कूल / कॉलेज)	बोर्ड / वि0वि0	प्राप्तांक	पूर्णांक	%
01	10th / मैट्रिक / प्रवेशिका								
02	12th / इण्टरमीडिएट								
03	स्नातक (सामान्य / प्रतिष्ठा)								

22. क्या आप झारखण्ड राज्य के स्थायी सरकारी सेवक हैं?..हाँ / नहीं।
यदि हाँ तो नियोजन का पूर्ण विवरणः—

पद का नाम	विभाग का नाम	सेवा में योगदान की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि	नियोजन की अवधि	नियंत्री प्राधिकार का नाम

23. क्या आपको किसी सरकार संघ, राज्य लोक सेवा आयोग अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किसी चुनाव या परीक्षा से बहिष्कृत अथवा दण्डस्वरूप आयोग्य घोषित किया गया है। यदि हाँ तो निम्न आशय की सूचनाएँ देंः—

आयोग / परीक्षा / चुनाव / वि0वि0 का नाम	वर्ष	उपरोक्त दण्ड का कारण	दण्ड की अवधि	दण्ड देने वाले अधिकारी / प्राधिकार का नाम व पता

24. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं?..हाँ / नहीं।
यदि हाँ तो क्या अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा किया गया है,...

25. क्या आप किसी आपराधिक काण्ड में अभियुक्त हैं / दंडित हुए हैं? यदि हाँ तो निम्न आशय की सूचनाएँ देंः—

कांड संख्या	वर्ष	धाराएँ / अधिनियम	क्या काण्ड विचाराधीन है।	संबंधित न्यायालय	दण्ड का विवरण

आवेदक प्रविष्टि के अनुसार निम्न प्रमाण—पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया—प्रति आवेदन—पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगीः—

(क) जन्म तिथि के लिए 10th / मैट्रिक मूल प्रमाण—पत्र / अंक पत्र।

(ख) 12th / इण्टरमीडिएट अंकपत्र

(ख) स्नातक उत्तीर्णता हेतु अंक पत्र एवं प्रमाण—पत्र।

(ग) झारखण्ड राज्य के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र—I एवं प्रपत्र—II में सक्षम प्राधिकार उपायुक्त / अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण—पत्र।

(घ) निःशक्तता के दावे हेतु सक्षम मेडिकल बोर्ड से विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण—पत्र।

(ङ) झारखण्ड राज्य के सरकारी सेवक के रूप में अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु किए गए दावे के समर्थन में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र।

(च) भूतपूर्व सैनिक के रूप में अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु किए गए दावे के समर्थन में निर्गत प्रमाण—पत्र।

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास में इस प्रपत्र में दिए गए उक्त सभी विवरण एवं संलग्न प्रमाण–पत्र सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा किसी भी तरह के गलत सूचना देने या तथ्य छिपाने का प्रमाण पाए जाने पर मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ–साथ मेरी उम्मीदवारी आयोग द्वारा समाप्त की जा सकेगी और इसके लिए मैं खुद जिम्मेवार होऊंगा/होऊंगी।

स्थानः–...............................

दिनांकः–............................

उम्मीदवार का पूर्ण हस्ताक्षरः–

हिन्दी में
अंग्रेजी में

केवल सरकारी सेवकों के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.. पद...पर दिनांक–...................................से कार्यरत हैं तथा इनके द्वारा कुल......................................वर्षों की संपुष्ट सेवा पूरी की जा चुकी है। इनकी सेवाएँ संतोषप्रद है, इनका चरित्र अच्छा है। इनका आवेदन आयोग के विचारार्थ अग्रसारित किया जाता है तथा संबंधित पद पर नियुक्ति की दशा में इन्हें विरमित करने में विभाग/कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

कार्यालय प्रधान/नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर–

....

....

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र–I

....

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र

(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :–............................ तिथि :–..............

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ...., निवासी, ग्राम/क़स्बा/मोहल्ला ...., डाकघर ...., थाना ...., जिला . ..., राज्य .... अनुसूचित जाति */ अनुसूचित जनजाति * श्रेणी के अन्तर्गत .... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति */अनुसूचित जनजाति * के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा .... शहर ....जिला .... राज्य .... में निवास करते हैं ।

स्थान :–

तिथि :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर;

नाम ....

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जन जाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

प्रपत्र II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि :– नाम ....

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008 4450 दिनांक 01.08.2011, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

FORM-II

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO THE POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ______________________ son/daughter of ____________________________ resident of Village/Town ____________________ P.S. ____________________ District ____________________ of Jharkhand belongs to the ____________________________ community which is recognised as an Extremely Backward Class (Annexure-I)/Backward Class (Aannexure-II) of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001*,**.

This is to also certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column-3 of the Schedule to the OM No.-36012/22/93-Estt(SCT) dated 08.09.1993 of Department of Personnel & Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative Reforms and Official Languages vide Resolution No.-3482, dated 10.06.2002.

Place :-

Date :-

Signature of Competent Officer

Name ....

Post ....

(Official Seal)

(Note-Strike which is not applicable)

1. * Caste/Sub Caste enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001.
2. ** The castes included in the list of Extremely Backward Classes/Backward Classes under Section-2 of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001 vide Resolution No.-3885, dated 05.11.2011, 801 dated 11.02.2003, 3436 dated 28.06.2004, 6337 dated 08.12.2004, 6374 dated 11.12.2004, 368 dated 19.01.2006, 2759 dated 01.06.2006, 3706 dated 15.07.2006, 4447 dated 24.08.2006, 5182 dated 26.09.2006, 1604 dated 28.03.2007, 243 dated 11.01.2008, 5108 dated 23.09.2008, 4450 dated 01.08.2011; 5826 dated 19.09.2011, 697 dated 26.09.2011, 6580 dated 20.10.2011, 8060 dated 17.12.2011, 144 dated 06.01.2012, 2855 dated 27.03.2012 and as revised from time to time.

अनुबन्ध- 1

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं. .... तारीख ....

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .... आयु .... लिंग ....पहचान चिन्ह .... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त -

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फ़ोलिज़)

(I) दोनों टांगे (बी एल) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(II) दोनों बाहें (बी एल) - दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(III) दोनों टांगे और बांहे (बी एल ए) - दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित

(IV) एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(V) एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) - पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(VII) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति ।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(I) बी-अंधापन

(II) पी बी - आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(I) डी - बधिर

(II) पी डी - आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है । इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती । .... वर्षों .... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है ।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत .... है ।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी .... अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है:-

(I)	एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती है।	हाँ/नहीं
(II)	पी पी - धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(III)	एल - उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(IV)	के सी - घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(V)	बी - झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(VI)	एस - बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(VII)	एस टी - खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(VIII)	डब्ल्यू - चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(IX)	एस ई - देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ /नहीं
(X)	एच - सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं ।	हाँ /नहीं
(XI)	आर.डब्लयू- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं ।	हाँ /नहीं

(डॉ ....)	(डॉ ....)	(डॉ ....)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साअधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

अनुबन्ध-।।

निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर

भर्ती का वर्ष	साईकिल सं. और पॉइंट सं.	पद का नाम	क्या निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पद उपयुक्त पाया गया			अनारक्षित अथवा आरक्षित	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	क्या नियुक्त किया गया व्यक्ति दृ.व./व./शा.वि. अथवा इनमें से कोई नहीं	अभ्युक्तियां यदि कोई हो
			दृ.वि.	व.	शा.वि.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

'यदि आरक्षित पहचाने गए हो तो लिखें दृ.वि./व./शा.वि. जैसा भी मामला हो, अन्यथा लिखें अनारक्षित ।

''लिखें दृ.वि./व./शा.वि. अथवा इनमें से कोई नहीं, जैसा मामला हो ।

'''दृ.वि./व./शा.वि. का आशय दृष्टि विकलांग, बधिर और शारीरिक विकलांग से है ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 441 -- 50